न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 14/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. कन्हैयालाल पुत्र अणदाराम जाति राजपुरोहित निवासी खीचला खुदनल, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स अन्नपूर्णा किराणा स्टोर, सिवाना, बाड़मेर का मालिक)
2. रेशमी देवी पत्नी विशनाराम निवासी सदर बाजार, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स मारूती मसाला उद्योग, आयुर्वेद हॉस्पिटल के पीछे, सिवाना रोड़, मोकलसर जिला बाड़मेर फर्म का अनुज्ञापत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स अन्नपूर्णा किराणा स्टोर, सिवाना, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **01.02.2022** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउड**[illegible]**म)** एक कट्टे में 10 किलो भरी हुई पाई, को मिलावट का होने के शक [illegible]सार कुल दो किलो **मिर्ची पाउडर (लाल) ब्राण्ड मारूती (500** [illegible] वास्ते नमूना क्र[illegible]या जाकर नमूना संख्या **पी–1539** अंकित कर इसकी जांच खाद्य [illegible] 2006 के त[illegible]ये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व [illegible]क्रेता के हस्ताक्षर कर[illegible]। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (लाल) ब्राण्ड मारूती (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (लाल) ब्राण्ड मारूती (500 ग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है एवं छोटी सी किराणे की दुकान चलाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स मारूती मसाला उद्योग सिवाना रोड मोकलसर वाले से खरीदा है जिसके खरीद के बिल की कॉपी भी संलग्न पेश की गई है। अप्रार्थी द्वारा अवस्था में उक्त खाद्य पदार्थ खरीदा है उसी अवस्था में आगे बेचान किया गया है। इसमें उसके द्वारा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप की जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अभी नई फर्म खोली है। उसके द्वारा कच्चा माल सूखी मिर्ची मथाणियां, जालोर व अन्य गांवों के बेरों से खरीदकर उसकी पिसाई एवं पैकिंग कर कम मात्रा में ही बेचान किया जाता है। इस कारण अलग–अलग प्रकार की मिर्ची होने से थोड़ा–बहुत अन्तर स्वाद एवं रंग में आता रहता है। अप्रार्थी द्वारा बेचान किये गये माल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। खरीददारों द्वारा आगे धूप में या ज्यादा गर्मी में उक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसमें अप्रार्थी संख्या 2 की कोई गलती नहीं है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2022 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है तब न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित में निवेदन किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है एवं छोटी सी किराणे की दुकान चलाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स मारूती मसाला उद्योग सिवाना रोड मोकलसर वाले से खरीदकर जिस अवस्था में खरीदा है उसी अवस्था में आगे बेचान किया गया है। इसमें उसके द्वारा किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप की जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अभी नई फर्म खोली है। उसके द्वारा कच्चा माल सूखी मिर्ची मथाणियां, जालोर व अन्य गांवों के बेरों से खरीदकर उसकी पिसाई एवं पैकिंग कर कम मात्रा में ही बेचान किया जाता है। इस कारण अलग–अलग प्रकार की मिर्ची होने से थोड़ा–बहुत अन्तर स्वाद एवं रंग में आता रहता है। अप्रार्थी द्वारा बेचान किये गये माल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। खरीददारों द्वारा आगे धूप में या ज्यादा गर्मी में उक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसमें अप्रार्थी संख्या 2 की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बाबत तथ्य प्रकट किये गये हैं किन्तु नमूना **मिथ्याछाप** पाये जाने के लिए अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं करना मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 30,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:07:35 IST
Reason: SelfAttested